

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक प. 1(12)राज-6/2018

जयपुर, दिनांक 01-02-18

समस्त,
जिला कलक्टर,
राजस्थान

विषय:- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि रूपांतरण पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन करने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत निर्देशानुसार लेख है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि रूपांतरण प्रकरणों के राजस्व रिकॉर्ड के संबंध में पूर्व में इस विभाग द्वारा एक परिपत्र दि० 16.08.12 जारी किया गया था। इसके उपरांत इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6(26)राज.-6/2014/33 दि० 6.10.2016 जारी की जा चुकी है।

अतः भूमि रूपांतरण प्रकरणों के संबंध में इस अधिसूचना द्वारा संशोधित नियम 12 के अनुसार आवश्यक राजस्व रिकॉर्ड का संधारण सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय,

Om
17/2/18

(रामनिवास जाट)

संयुक्त शासन सचिव

o/c

online करवा है।